



दिनांक 13.07.2022

प्रेस विज्ञप्ति 13/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रायबरेली/थाना बछरावां

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 13.07.2022 को थाना बछरावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना बछरावां क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शमसुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बछरावां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 380/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बछरावां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शमसुल निवासी ग्राम बेलहरी थाना फखरपुर जनपद बहराइच।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली शहर

• 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.07.2022 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त पमपम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2019 धारा 302/307/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पमपम निवासी छोटी गुदरी थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना नवाबगंज

• 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.07.2022 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैनावती मार्ग से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सौरभ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0—38/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरभ निवासी ग्राम सिंहपुर थाना बिठूर, कानपुर नगर।

जनपद इटावा/थाना जसवन्तनगर

- लूट की घटना का अनावरण
- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 10 हजार 200 रूपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस
- 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद

दिनांक 13.07.2022 को थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कचौरा बाईपास के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—श्याम किशोर 2—सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 10 हजार 200 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त श्याम किशोर के विरुद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों में हत्या आदि के 03 अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक 01.06.2022 को थाना जसवन्तनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—श्याम किशोर निवासी गढ़िया चौराहा थाना करहल जनपद मैनपुरी।

2—सूरज निवासी बाग वृन्दावन थाना करहल जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—लूट के 10 हजार 200 रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद रायबरेली/थाना खीरों

● चोरी की घटना का अनावरण

● 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● चोरी की भारी मात्रा में सोने व चाँदी के आभूषण बरामद

दिनांक: 13.07.2022 को थाना खीरों पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एकोनी नाले के पास से अभियुक्त सर्वेश कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में सोने व चाँदी के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना खीरों क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खीरों पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद सोने व चाँदी के आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खीरों पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सर्वेश कुमार निवासी ग्राम गौनहा मजरे एकोनी थाना खीरों जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1—चोरी की भारी मात्रा में सोने व चाँदी के आभूषण।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा

- पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 100 लीटर डीजल मय पिपिया
 - खाली पिपिया, पाइप, प्लास
- 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 32 जीवित, 03 खोखा कारतूस
 - 01 पोनिया 315 बोर
 - 01 मोबाइल फोन
 - 01 सेन्द्रो कार आदि बरामद

दिनांक 13.07.2022 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अण्डर पास रोजा से पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्तों 1—सुनील उर्फ टुईयां 2—सोनू 3—मनोज कुमार 4—अनुज कुमार 5—अनुज कुमार पुत्र प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 100 लीटर डीजल मय पिपिया, खाली पिपिया, पाइप, प्लास, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 32 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 पोनिया 315 बोर, 01 मोबाइल फोन, 01 सेन्द्रो कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें सुनील उर्फ टुईयां के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 12.07.2022 को थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा डीजल चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रोजा पर मु0अ0सं0—526/2022 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद डीजल तेल उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—सुनील उर्फ टुईयां निवासी ग्राम कुडरा पहाड़पुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।
- 2—सोनू निवासी ग्राम टिकरा थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
- 3—मनोज कुमार निवासी ग्राम नगरा मछोछा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी।
- 4—अनुज कुमार निवासी बीबीपुर थाना भीरा जनपद लखीमपुर खीरी।
- 5—अनुज कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम नगरा मछोछा थाना पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी।

बरामदगी

- 1—चोरी के 100 लीटर डीजल मय पिपिया।
- 2—खाली पिपिया, पाइप, प्लास आदि।
- 3—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 32 जीवित, 03 खोखा कारतूस।
- 4—01 पौनिया 315 बोर।
- 5—01 मोबाइल फोन।
- 6—01 सेन्द्रो कार आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना शाहगंज

- 04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 50 लाख रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोइन
 - 44 हजार 900 रुपये नगद
 - 01 कार बरामद

दिनांक 13.07.2022 को थाना शाहगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम उचका नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान 04 मादक

पदार्थ तस्करों 1–सूरज कुमार 2–बुत्रु 3–सुनील कुमार 4–कमलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोइन, 44 हजार 900 रूपये नगद, 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1–सूरज कुमार निवासी नवजीवन विहार सेक्टर नम्बर–03 विन्ध्यनगर सिंगरौली मध्यप्रदेश।
- 2–बुत्रु निवासी नवजीवन विहार सेक्टर नम्बर–03 विन्ध्यनगर सिंगरौली मध्यप्रदेश।
- 3–सुनील कुमार निवासी नवजीवन विहार सेक्टर नम्बर–03 विन्ध्यनगर सिंगरौली मध्यप्रदेश।
- 4–कमलेश निवासी वार्ड नम्बर 21 विन्ध्यनगर सिंगरौली मध्यप्रदेश।

बरामदगी

- 1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 500 ग्राम अवैध हेरोइन।
- 2–44 हजार 900 रूपये नगद।
- 3–01 कार।

जनपद बस्ती/थाना वाल्टरगंज

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- 21 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा
 - 6000/–रूपये नगद
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 12.07.2022 को थाना वाल्टरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दौलतपुर पुलिया से चेकिंग के दौरान अभियुक्त रणधीर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 21 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, 6000/—रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, अयोध्या, संतकबीरनगर, बस्ती के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना वाल्टरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रणधीर निवासी खरुवईया थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1—21 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

2—6000/—रूपये नगद।

3—01 मोटर साइकिल।

➤ जनपद श्रावस्ती/थाना सिरसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी-14 जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1—कलामुद्दीन 2—मुकद्दर 3—मेराज अहमद को 10 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
